रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 28, 1971/माघ 8, 1892

No. 14] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 28, 1971/MAGHA 8, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

RESOLUTION

New Delhi, the 25th January 1971

No. 5(17)/70-A.E. Ind.(I).—A Commission was constituted on the recommendations of the Supreme Court, *vide* Resolution No. 5(17)/70-A.E.Ind.(I), dated 27th May, 1970 for the purpose of recommending the fair selling prices of the three makes of cars manufactured in the country namely, Ambassador, Fiat and Standard, under the Chairmanship of Shri Sarjoo Prasad Singh, Retired judge of the Patna High Court.

2. The Commission was to submit its report within a period of four months from the date of its constitution. The Commission started its work on 1st June, 1970. As the Commission could not complete its work within the stipulated period, it approached Government for extension of its term by three months. Accordingly, a petition was moved before the Supreme Court requesting the approval of the Hon'ble Court for extension of the term of the Commission by a period of 3 months from 1st October, 1970 to 31st December, 1970. The Supreme Court granted the

extension asked for. Accordingly, Government decided to extend the term of the Car Prices Inquiry Commission upto 31st December, 1970, *vide* Resolution No. 5-(17)/70-A.E.Ind.(I), dated the 4th November, 1970.

3. The Commission again approached Government to extend its term by a further period of 2 months *i.e.* from 1st January, 1971 to 28th February, 1971, since it could not complete its work by 31st December, 1970. Accordingly a petition was moved before the Supreme Court, requesting the approval of the Hon'ble Court for the extension of the term of the Commission by a further period of two months *i.e.* 1st January, 1971 to 28th February, 1971. The Supreme Court has granted the extension asked for.

4. In view of this, Government have decided that the term of the Car Prices Inquiry Commission be extended upto 28th February, 1971.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India for general information.

R. V. SUBRAHMANIAN, Addl. Secy.

औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 1971

सं० 5 (17)/70–ए० ई० आई०(1):—उच्चतम न्यायालय की सिफारिश पर भारत में निर्मित तीन प्रकार की कारों अर्थात् एम्बेसेडर, फिएट तथा स्टेंडर्ड के उचित बिक्री मूल्य निर्धारण करने हेतु संकल्प संख्या 5(17)/70–ए०ई०आई०(1) दिनांक 27 मई, 1970 द्वारा पटना उच्च न्यायालय के सेवा प्राप्त न्यायाधीश श्री सरजू प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था।

2. आयोग को अपने गठन की तिथि से चार मास की अवधि के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। आयोग ने अपना कार्य 1 जून, 1970 को प्रारम्भ किया। आयोग अपना कार्य निर्धारित अवधि में समाप्त नहीं कर सका, अतः उसने सरकार से तीन महीने की अवधि बढ़ाने के लिए कहा। तदनुसार, आयोग की अवधि 1 अक्तूबर, 1970 से 31 दिसम्बर, 1970 तक 3 महीने बढ़ाने के लिए न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका प्रस्तुत की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दे दी। तदनुरूप, सरकार ने संकल्प संख्या 5(17)/70–ए०ई०आई०(1) दिनांक 4 नवम्बर, 1970 द्वारा कार मूल्य जांच आयोग की अवधि 31 दिसम्बर, 1970 तक बढ़ाने का निश्चय किया।

3. चूंकि आयोग 31 दिसम्बर, 1970 तक अपना कार्य पूरा नहीं कर सका। अतः उसने 1 जनवरी, 1971 से 28 फरवरी, 1971 तक 2 मास की अग्रतर वृद्धि के लिए पुनः सरकार से कहा। तदनुसार आयोग की अवधि में 1 जनवरी, 1971 से 28 फरवरी, 1971 तक दो महीने की अग्रेतर वृद्धि के लिए न्यायालय की स्वीकृति के लिए उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दी गई। उच्चतम न्यायालय ने अवधि बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है।

4. इसको ध्यान में रखकर सरकार ने कार मूल्य जांच आयोग की अवधि 28 फरवरी, 1971 तक बढ़ाने का निश्चय किया है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाये तथा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

आर० वी० सुब्रह्मण्यन्, अतिरिक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971